

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

पत्रांक : 9/उपा0/बीज/अनु0- 01/2018

3557

/कृ0 पटना दिनांक 02-7-, 2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय भा.प्र.से.
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 राघोजी हाउस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
प्रो0- आकाश कुमार सोनू,
हाउस नं0- 566, रोड नं0- 10 बी0,
राजेन्द्र नगर, पटना-16

विषय :- बीज अनुज्ञप्ति सं0 14/2018 वैधता तिथि 15.02.2021 को तत्कालीक प्रभाव से रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम लि0 के थैले में फर्जी प्रमाणित मूंग बीज वितरण के संज्ञान में आये मामले के जांचोपरान्त अवैध बीज व्यवसाय करने के कारण जिला कृषि पदाधिकारी, पटना द्वारा ज्ञापांक 2448 दिनांक 03.05.18 द्वारा मे0 राघोजी हाउस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रो0 श्री आकाश कुमार सोनू, रोड नं0- 10 बी0, दो मिनार रोड, राजेन्द्र नगर, पटना-16 के बीज विपणन अनुज्ञप्ति संख्या SL 2127173117 दिनांक 14.12.2017 को तत्कालीक प्रभाव से रद्द किया गया है।

आपके उक्त प्रतिष्ठान के नाम से राज्यस्तरीय बीज अनुज्ञप्ति संख्या 14/2018 वैधता तिथि 15.02.2021 निर्गत है, को उक्त आधार पर तत्कालीक प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3557

दिनांक- 02-7-18

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई-मेल से सूचित करने हेतु प्रेषित।